Schedule XLII-High Court (J) 19[old (M)164]

<u>अनुमन्डल न्यायालय–असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) बनमनखी, पूर्णियाँ, बिहार</u>

समक्ष– सतीश मणि त्रिपाठी (बिहार न्यायिक सेवा)

स्वत्व वाद सं.– 359/2012 सी.आई.एस.क्र.– 359/2012

बासुदेव यादव एवं अन्य बनाम श्री जगदेव यादव द्वारा विधिक प्रतिनिधि एवं अन्य

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
04.04.2026	वादी एवं प्रतिवादी सं0 1ए से 1एफ एवं 2ए से 2एफ एवं 3 की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजरी है। यह वाद वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन दिनांक 21.05.2025 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदन को संचालित कर वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित किया गया है कि विक्रय पत्र क्रमांक 18544, दिनांक 20.09.1968 सुरेन्द्र प्रसाद सिंह बनाम परमेश्वरी प्रसाद यादव एवं अन्य वादी के कब्जे से खो जाने के कारण वादी उक्त विक्रय पत्र को नियत समय के भीतर प्रस्तुत नहीं कर सका है। वाद के प्रभावी एवं न्यायपूर्ण निराकरण के लिये उक्त दस्तावेज को ग्रहण किया जाना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि उक्त दस्तावेज को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा की जाये। प्रतिवादी सं0 1ए से 1एफ एवं 2ए से 2एफ एवं 3 की ओर से प्रतिउत्तर प्रस्तुत कर आपत्ति व्यक्त किया गया है कि वादी की ओर से गलत तथ्य दर्शित करके उक्त केवाला विलंब से प्रस्तुत किया गया है जिस कारण से वादी का यह आवेदन खारिज किये जाने योग्य है। उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादी के द्वारा यह वाद बंटवारा हेतु लाया गया है तथा वादी के द्वारा विक्रय पत्र क्रमांक 18544 नियत समय के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया है। वाद के प्रभावी एवं न्यायपूर्ण निराकरण के लिये उभय पक्ष के साक्ष्य को अभिलेख पर लाया जाना न्यायसंगत है। अतः वादी के इस आवेदन को न्यायहित में **स्वीकृत** कर उक्त दस्तावेज को प्रस्तुत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। वाद आगामी दिनांक 29.04.2026 वास्ते वादी साक्ष्य। हस्ताक्षर ह0/– अ.सै.न्यायाधीश वरीय कोटि बनमनखी, पूर्णियाँ	